षोडश बिहार विधान सभा

तृतीय सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-02 सोमवार, दिनांक- 01 अगस्त, 2016 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.45 बजे पूर्वा० तक

[1] प्रश्नोत्तर काल :-

(i) 20 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।

(ii) 01 तारांकित प्रश्न संख्या 13 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में स्थानान्तरित ।

(iii) 01 तारांकित प्रश्न संख्या-28 पथ निर्माण विभाग में स्थानान्तरित ।

(iv) 09 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ ।

(v) 33 तारांकित प्रश्न अनागत ।

''इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण राज्य में बाढ़ एवं सुखाड़ से उत्पन्न स्थिति पर सरकार से वक्तव्य की मांग को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गए ।''

''आसन द्वारा माननीय नेता विरोधी दल से बार-बार कहा गया कि नियमावली में जो प्रावधान है उसके तहत अपनी बातों को सही समय पर उठायेंगे तो सरकार भी उसपर संज्ञान लेगी । मैं भी सरकार से संज्ञान लेने के लिए कहूंगा । सदन नियमावली से चलता है और नियमावली में विषयों को किस समय उठाना है उसका भी प्रावधान है । आप सही समय पर अपनी बात रखेंगे तो सरकार अवश्य संज्ञान लेगी ।''

''आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यों से भी अलग से अनुरोध किया गया कि वे सीट पर जाकर बातों को कहें ।''

किन्तु सदन में शान्ति कायम नहीं हो सकी और सभा की बैठक 02.00 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अप० से 6.40 बजे अप० तक)

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

[2] **विधायी कार्य :- राजकीय विधेयक :-**

(i) **बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2016 :-**

माननीय प्रभारी मंत्री, श्री श्रवण कुमार द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री विजय कुमार खेमका, श्री संजीव चौरसिया, श्री मिथिलेश तिवारी एवं श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव दिया गया ।

माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।

माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री विजय कुमार खेमका, श्री संजीव चौरसिया, श्री मिथिलेश तिवारी एवं श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव दिया गया लेकिन किसी माननीय सदस्य द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । माननीय सदस्य श्री नंदकिशोर यादव द्वारा स्वीकृति का प्रस्ताव पर पक्ष रखा गया ।

माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा सरकार का पक्ष रखा गया ।

विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

(ii) **बिहार भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 2016 :-**

माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्री मदन मोहन झा द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री मिथिलेश तिवारी एवं श्री विद्या सागर केशरी द्वारा सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव दिया गया । माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।

माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री मिथिलेश तिवारी, श्री विद्या सागर केशरी एवं श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा जनमत जानने हेतु प्रस्ताव दिया गया । माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्री मदन मोहन झा द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री नंद किशोर यादव, श्री जीतन राम मांझी, श्री विद्या सागर केशरी एवं श्री सदानन्द सिंह द्वारा पक्ष रखा गया ।

माननीय मंत्री, श्री मदन मोहन झा द्वारा स्वीकृति के प्रस्ताव पर सरकार का पक्ष रखा गया ।

विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

(iii) **बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2016 :-**

माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्री मदन मोहन झा द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री विजय कुमार खेमका, श्री संजीव चौरसिया, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, श्री मिथिलेश तिवारी एवं श्री विद्या सागर केशरी द्वारा सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव दिया गया । माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।

माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री विजय कुमार खेमका, श्री संजीव चौरसिया, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, श्री मिथिलेश तिवारी एवं श्री विद्या सागर केशरी द्वारा जनमत जानने हेतु प्रस्ताव दिया गया । माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डश: विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय मंत्री, श्री मदन मोहन झा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

नेता विरोधी दल श्री प्रेम कुमार द्वारा स्वीकृति के प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखा । माननीय सदस्य श्री विद्या सागर केशरी द्वारा भी अपना पक्ष रखा गया ।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विधेयक पर सरकार का पक्ष रखा गया ।

माननीय मंत्री, श्री मदन मोहन झा द्वारा भी स्वीकृति के प्रस्ताव पर सरकार का पक्ष रखा गया ।

विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

(iv) <u>बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद विधेयक, 2016</u> :-

माननीय मंत्री, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, श्री अब्दुल जलील मस्तान द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री नन्द किशोर यादव, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री विजय कुमार खेमका, श्री संजीव चौरसिया, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, श्री मिथिलेश तिवारी एवं श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव दिया गया । माननीय सदस्य श्री नन्द किशोर यादव द्वारा सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।

माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी, श्री नन्द किशोर यादव, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री विजय कुमार खेमका, श्री संजीव चौरसिया, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, श्री मिथिलेश तिवारी, श्री तारकिशोर प्रसाद, श्री जिवेश कुमार, श्री प्रमोद कुमार एवं श्री राणा रणधीर द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव दिया गया । माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी द्वारा विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया । प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डश: विचार के क्रम में खण्ड-2 में संजय सरावगी द्वारा 3 एवं श्री मिथिलेश तिवारी द्वारा 1 संशोधन ; खण्ड-3 में श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा 1; खण्ड-13 में श्री राघव शरण पाण्डेय द्वारा 1; खंड-16 में श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा-1; खंड-18 से 25 में श्री संजय सरावगी एवं श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा-1; खंड-30 में श्री संजय सरावगी द्वारा-1; खंड-40 में श्री मिथिलेश तिवारी द्वारा-1; खंड-58 में श्री मिथिलेश तिवारी द्वारा-1; खंड-62 में श्री संजय सरावगी द्वारा-1 एवं खंड-83 तथा 84 में श्री राघव शरण पाण्डेय द्वारा 1-1 संशोधन प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया । सभी संशोधन ध्वनिमत से अस्वीकृत हुआ ।

श्री नन्द किशोर यादव का खण्ड-17 एवं 32 में दिया गया संशोधन क्रमश: 46 के मुकाबले 150 तथा 45 के मुकाबले 153 मतों से अस्वीकृत हुआ तथा सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय मंत्री, श्री अब्दुल जलील मस्तान द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री नन्द किशोर यादव, श्री जीतन राम मांझी, श्री ललन पासवान, श्री महबूब आलम, श्री प्रेम कुमार एवं श्री राजु तिवारी द्वारा बारी-बारी से अपना पक्ष रखा गया तथा सरकार के उत्तर के पूर्व विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए ।

स्वीकृति के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विस्तार से पक्ष रखा गया ।

विधेयक में किए गए प्रावधानों पर माननीय मंत्री, श्री अब्दुल जलील मस्तान द्वारा प्रकाश डाला गया ।

विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

[3] <u>निवेदन</u> :-

आसन से घोषणा की गई कि आज के लिए स्वीकृत कुल 16 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जाएगें ।

तत्पश्चात् सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 02 अगस्त, 2016 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना

दिनांक-01 अगस्त, 2016

राम श्रेष्ठ राय

सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।